न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 1061/2017

वादीगण

1. नारायणलाल पुत्र केवलराम जाति घांची नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किशनलाल पुत्र केवलराम
2. प्रतापराम पुत्र केवलराम
3. देवी पुत्री केवलराम पत्नी चम्पालाल जातियान माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली
4. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:—

1. श्री सम्पतराज देवड़ा अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या उपस्थित।

—: **निर्णय** :—

दिनांक — 22.03.2022

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1914/2 रकबा 0.0167 है0 किस्म चा0प0जा0अ0 खसरा नंबर 1921/2 रकबा 0.0466 है0 किस्म चा0प0 खसरा नंबर 1931 रकबा 0.0500 है0 किस्म मेहन्दी, खसरा नंबर 1938/2 रकबा 0.0584 है0 किस्म मेहन्दी, खसरा नंबर 1952 रकबा 0.0800 है0 किस्म चा0प0जा0अ0 आई हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि को आगे इस वादपत्र में वादस्थ भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/4 हक व हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है, जिस पर वादी बिना किसी रोक टोक के शान्तिपूर्वक वादी काबिज काश्त चला आ रहा हैं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा है। वादस्थ कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है तथा प्रतिवादीगण अपनी मन मर्जी से काश्त करते रहते है। वादस्थ कृषि भूमि का विधिक बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया हुआ नहीं होने से सभी खातेदारों के मध्य धोरा पाली एवं माठो को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। जिससे वादी को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि में काश्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादीगण संख्या में अधिक है तथा प्रतिवादीगण पहले फसल बो देते है तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करते रहते वादी को उक्त कृषि भूमि से मेहरूम करने की नियत से प्रतिवादीगण वादी के हिससे की मेहन्दी की फसल को भी काट कर ले जाते है जिससे वादी अपने जायक हक व अधिकारों से मेहरूम हो रहा है। वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया हुआ नही होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच धोरा पाली एवं माठो को लेकर हर समय विवाद होता रहता है तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि में लगी मेहन्दी की फसल की निगरानी करने एवं उसमें लगी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

कन्टीली जाड़ियां को हटाने हेतु दिनांक 29/06/2017 को गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां कहा कि उक्त कृषि भूमि के तुम्हारा कोई हक हिस्सा नही है न ही मेहन्दी की फसल को लेने देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करना शुरू कर देने पर वादी ने दिनांक 29/06/2017 को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने एवं तहसील कार्यालय चलने का कहने पर प्रतिवादीगण ने वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने से साथ इंकार कर दिया तथा वादीगण को ऐलानिया धमकिया दी कि वादस्थ कृषि भूमि में न तो वादी को आने देंगे न ही उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करने देंगे तथा काश्त भी नहीं करने देंगे एवं उक्त कृषि भूमि को अन्य शख्स को बेचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने की धमकियां दी जिसका प्रतिवादीगण कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने से साफ इन्कार कर देने से एवं वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से रोका जाना कानूनन आवश्यक है इसलिए यह वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। बिनायदावा दिनांक 29/06/2017 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर देने एवं वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने एवं वादस्थ कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने की धमकिया देने से बमुकाम सोजत में उत्पन्न हुआ जो यह वाद अन्दर म्याद पेश है। बाबत बंटवाड़ का होने से तथा तहसीलदार भूमि धारक आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित होने से यह वाद श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर किये जाने की, कि सरहद मौजा सोजत चक संख्या–1 में वादी की खातेदारी व कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 1914/2 रकबा 0.0167 है0 किस्म चा0प0जा0अ0 खसरा नंबर 1921/2 रकबा 0.0466 है0 किस्म चा0प0 खसरा नंबर 1931 रकबा 0.0500 है0 किस्म मेहन्दी, खसरा नंबर 1938/2 रकबा 0.0584 है0 किस्म मेहन्दी, खसरा नंबर 1952 रकबा 0.0800 है0 किस्म चा0प0जा0अ0 का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि को अलग किया जावे तथा कब्जा भी अलग से सुपुर्द किया जावे एवं लगान भी अलग से मुकर्रर किया जाकर राजस्व नक्शा में अलग से तरमीम किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी के 1/4 हक हिस्से की कृषि भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे न ही किसी नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करवाये की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध तामिली सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.10.2017 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को दिनांक 08/01/2018 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी ज0दा0 पेश करने में विफल रहने से इनकी ओर से ज0दा0 पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है तथा ज0दा0 बन्द किया गया। बहस वकुलाय

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

विवादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा विभाजन किये जाने हेतु सुनी गई। तथा बाद विवेचन विश्लेषण दिनांक 30.01.2019 को प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की गई कि माफिक राजस्व रेकर्ड सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 1914/2, 1921/2, 1931, 1938/2 एवं 1952 कुल किता 5 रकबा 0.2517 हैक्टर किस्म चा0प्र0जा0अ0 व मेहन्दी की कृषि भूमि की आराजी में वादी की भूमि का पक्षकारानों में मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर सीमाकंन/नापचौंप करवाया जाकर मौके पर खमबन्दी एवं पत्थरगढी करवाई जाकर खाता व लगान अलग अलग करवाया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना हेतु तहसीलदार सोजत को अधिकृत किया गया। जिन्हे तहरीर मय प्राथमिक डिक्री भेजी जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/349 दिनांक 03.06.2019 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2020/4606 दिनांक 03.01.2020 को प्राथमिक डिक्री मय विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा राज0 काश्त0 अधि0 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया। तहसीलदार सोजत ने मौका फर्द तैयार कर अंकित किया कि दिनांक 03.01.2020 को राजस्व वाद संख्या 1061/2017 नारायणलाल बनाम किशनलाल वगै0 में जारी प्रा0 डिक्री 30.01.2019 की पालना में सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 1914/2, 1921/2, 1931, 1938/2 एवं 1952 कुल किता 5 रकबा 0. 2517 हैक्टर किस्म चा0प्र0जा0अ0 व मेहन्दी का रेकर्ड व मौका से जांच की गई एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रषित किया गया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.01.2020 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.01.2020 डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 1914/2, 1921/2, 1931, 1938/2 एवं 1952 कुल किता 5 रकबा 0.2517 हैक्टर किस्म चा0प्र0जा0अ0 व मेहन्दी कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	नारायणलाल पुत्र केवलराम कौम माली सा0 देह खातेदार	1914/2 1921/2 1931 1938/2 1952	0.0041 0.0116 0.0125 0.0146 0.0200	चाप्र जा0अ0 मेहंदी मेहंदी चाप्र	1.80

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

				जा0अ0	
2.	किशनलाल पुत्र केवलराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	1914/3 1921/3 1931/3 1938/3 1952/3	0.0042 0.0116 0.0125 0.0146 0.0200	चाप्र जा0अ0 मेहंदी मेहंदी चाप्र जा0अ0	1.80
3	प्रतापराम पुत्र केवलराम कौम माली सा0 देह खातेदार	1914/4 1921/4 1931/4 1938/4 1952/4	0.0042 0.0117 0.0125 0.0146 0.0200	चाप्र जा0अ0 मेहंदी मेहंदी चाप्र जा0अ0	1.80
4	देवी पुत्री केवलराम पत्नी चम्पालाल कौम माली सा0 देह खातेदार	1914/5 1921/5 1931/5 1938/5 1952/5	0.0042 0.0117 0.0125 0.0146 0.0200	चाप्र जा0अ0 मेहंदी मेहंदी चाप्र जा0अ0	1.81

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. नारायणलाल पुत्र केवलराम जाति घांची नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।

प्रतिवादीगण:

1. किशनलाल पुत्र केवलराम
2. प्रतापराम पुत्र केवलराम
3. देवी पुत्री केवलराम पत्नी चम्पालाल जातियान माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली
4. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :— 1061/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सम्पतराज देवडा अधिवक्ता वादी तथा श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्तागण प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 1914/2, 1921/2, 1931, 1938/2 एवं 1952 कुल किता 5 रकबा 0.2517 हैक्टर किस्म चा0प्र0जा0अ0 व मेहन्दी कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	नारायणलाल पुत्र केवलराम कौम माली सा0 देह खातेदार	1914/2 1921/2 1931 1938/2 1952	0.0041 0.0116 0.0125 0.0146 0.0200	चाप्र जा0अ0 मेहंदी मेहंदी चाप्र जा0अ0	1.80
2.	किशनलाल पुत्र केवलराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	1914/3 1921/3 1931/3 1938/3 1952/3	0.0042 0.0116 0.0125 0.0146 0.0200	चाप्र जा0अ0 मेहंदी मेहंदी चाप्र जा0अ0	1.80
3	प्रतापराम पुत्र केवलराम कौम माली सा0 देह खातेदार	1914/4 1921/4 1931/4 1938/4 1952/4	0.0042 0.0117 0.0125 0.0146 0.0200	चाप्र जा0अ0 मेहंदी मेहंदी चाप्र जा0अ0	1.80
4	देवी पुत्री केवलराम पत्नी चम्पालाल कौम माली सा0 देह खातेदार	1914/5 1921/5	0.0042 0.0117	चाप्र जा0अ0	1.81

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

		1931/5 1938/5 1952/5	0.0125 0.0146 0.0200	मेहंदी मेहंदी चाप्र जा0अ0	

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –

मुबलिग –

बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.03.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.